

राज्य, सरकार और नागरिक

अध्याय 6

शासन करने के प्रति उदासीन होने का सबसे बड़ा दंड यह है कि व्यक्ति को स्वयं से भी अधिक निकृष्ट व्यक्ति के अधीन शासित होना पड़ता है।

— सुकरात, ग्रीक दार्शनिक

(380 सा.सं.पू. में प्लेटो की कृति 'द रिपब्लिक' से उद्धृत)



चित्र 6.1 — सरकार और हम



महत्वपूर्ण प्रश्न ?

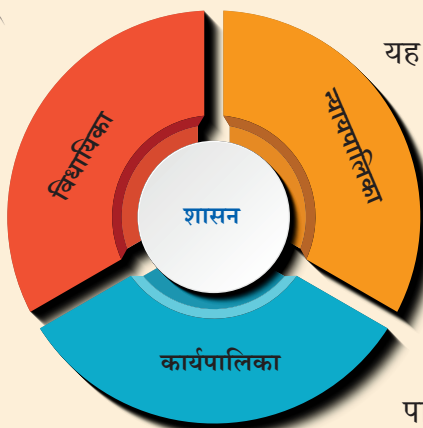
1. राज्य और सरकार में क्या अंतर है?
2. लोकतंत्र और गणराज्य में क्या भिन्नता है? भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य क्या बनाता है?
3. नागरिक, सरकार से अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार जुड़े रहते हैं? हम सरकार को कैसे अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बना सकते हैं?



078-4CH06



पुनरावलोकन करें



चित्र 6.2

यह चित्र आपकी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। क्या आपको स्मरण है कि हमने शासन-व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा की थी, जिसे सामान्यतः सरकार कहा जाता है? सरकार द्वारा किए जाने वाले तीन प्रमुख कार्य होते हैं— कानून बनाना (विधायिका), कानूनों को लागू करना (कार्यपालिका) तथा कानूनों के पालन को सुनिश्चित करना (न्यायपालिका)। हमने भारत में सरकार के तीन स्तरों और उनके कार्यों के विषय में भी संक्षेप में अध्ययन किया था।

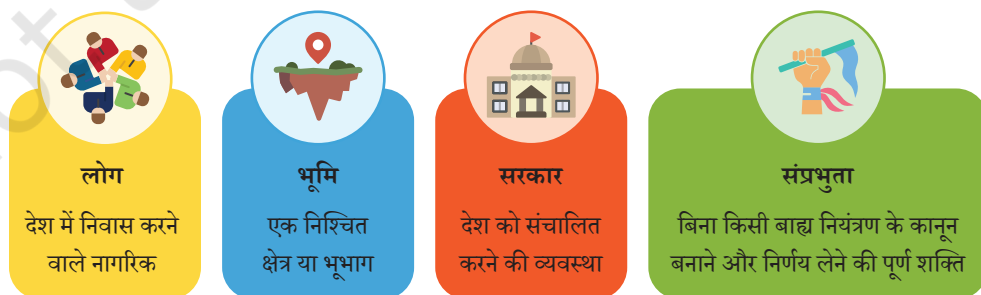
पाठ्यपुस्तक के भाग 1 के अध्याय 'शासक से शासित तक— सरकार के प्रकार' में हमने विश्व में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियों के विषय में भी जाना था। हमने लोकतांत्रिक, राजतंत्रात्मक, धर्मतंत्रात्मक, अधिनायकतंत्रात्मक तथा कुलीनतंत्रात्मक शासन-प्रणालियों तथा उनके कार्य करने के भिन्न-भिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। क्या आप इनमें कुछ भिन्नताओं को बता सकते हैं?

इस अध्याय में हम 'राज्य' और 'सरकार' तथा 'लोकतंत्र' और 'गणराज्य' के मध्य भेद का तथा हमारी सरकार की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

राज्य क्या है?

राज्य (या राष्ट्र) एक राजनैतिक संगठन होता है, जिसे किसी निश्चित भूभाग तथा वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या पर शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

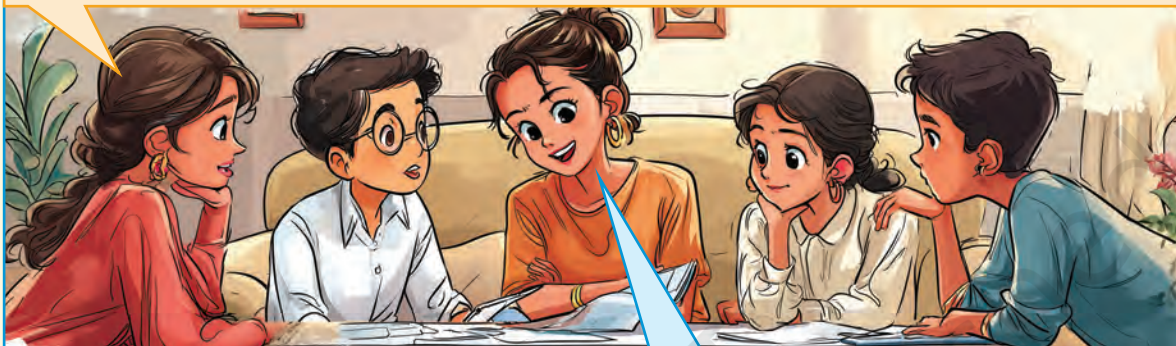
राज्य के चार महत्वपूर्ण भाग होते हैं—



चित्र 6.3 — राज्य के चार महत्वपूर्ण भाग

हम प्रायः ‘राज्य’ और ‘सरकार’ शब्दों को जब सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अर्थ एक ही है। भले ही दोनों आपस में निकट रूप से संबधित हैं परंतु वास्तव में वे एक समान नहीं हैं।

रोशनी दीदी! आज हमारी कक्षा में राज्य और सरकार के मध्य अंतर के विषय में पढ़ाया गया। मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। चूँकि, आप महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ रही हैं, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किसी स्थान के राज्य बनने के लिए वहाँ स्थायी जनसंख्या का होना क्यों आवश्यक है? क्या राज्य ऐसा स्थान नहीं हो सकता, जहाँ लोग कुछ समय के लिए केवल जा सकें, घूम सकें और वापस आ सकें?



सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों के बिना अर्थात् जनसंख्या के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि यदि कुछ लोग केवल घूमने आएँ और चले जाएँ, तो वे पर्यटकों के समान होते हैं। उनका उस स्थान से कोई संबंध नहीं होता, न ही वहाँ के व्यक्तियों के साथ कुछ भौगोलिक व सांस्कृतिक समानता होती है और न ही वे साथ रहकर जीवन-यापन करते हैं। परंतु जब लोगों की किसी स्थान या भूभाग से पहचान बनती है और सामान्यतः वे वहीं रहते हैं, तब वे वहाँ की स्थायी जनसंख्या बनते हैं। ऐसी जनसंख्या अपनी संस्कृति और समाज को विकसित करती है, जो भौगोलिक रूप से उस निर्धारित क्षेत्र से जुड़ी होती है जहाँ वे निवास करते हैं।

वास्तव में भौगोलिक रूप से निर्धारित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है?



यह ऐसा स्थान या भू-भाग होता है जिसकी सीमाएँ स्पष्ट होती हैं। आवश्यक नहीं है कि ये सीमाएँ प्राकृतिक भौगोलिक विशेषताएँ ही हों, अपितु प्रायः ये ऐसी रेखाएँ होती हैं जिन पर पड़ोसी राज्यों की आपसी सहमति होती है और जो इन राज्यों को एक-दूसरे से अलग करती हैं।

इस प्रकार, राज्य के घटक के रूप में जनसंख्या और भूभाग स्पष्ट हो जाते हैं। इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार, राज्य का एक अंग है परंतु वह स्वयं राज्य नहीं है। चूँकि लोग एक साथ रहते हैं, अतः उन्हें राज्य के सुचारु संचालन हेतु कानूनों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है और यही कार्य सरकार करती है।



संप्रभुता से क्या तात्पर्य है और यह किसी राज्य के लिए क्यों आवश्यक है?



संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि राज्य को अपने विषयों पर पूर्ण नियंत्रण हो और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून निर्मित कर सके तथा उन्हें लागू कर सके। कोई भी अन्य राज्य या बाह्य संस्था उस राज्य के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी कारण संप्रभुता राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है।



अतः राज्य की चार विशेषताएँ होती हैं— निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता।



इसे अनदेखा न करें

भारत में 'राज्य' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। पहला, राष्ट्र-राज्य के रूप में अर्थात् 'भारत' तथा दूसरा हमारी उप-राष्ट्रीय इकाइयों के रूप में, जैसे— महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरलम राज्या। इस अध्याय में हमने इकाइयों का प्रयोग राज्य के रूप में किया है।

सरकार क्या है?

सरकार व्यक्तियों का एक समूह अथवा एक ऐसी व्यवस्था है जो देश का संचालन करती है। इसमें नेता, मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होते हैं जो—

- कानून निर्मित करते हैं;
- कानूनों को लागू करते हैं;
- विवादों का समाधान करते हैं।



चित्र 6.5 — भारत की संसद का हवाई दृश्य

सरकार राज्य का केवल एक भाग होती है। चुनावों के पश्चात सरकार परिवर्तित हो सकती है, परंतु राज्य वैसा ही रहता है। आइए, एक सरल उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। राज्य को एक विद्यालय के रूप में और सरकार को प्रधानाचार्य और शिक्षकों के रूप में समझिए। शिक्षक आते-जाते रहते हैं, परंतु विद्यालय वहीं बना रहता है।

सरकार और राज्य शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर क्यों किया जाता है?

वास्तविक जीवन में हम प्रायः कहते हैं— “राज्य ने यह किया” अथवा “सरकार ने यह निर्णय लिया”, तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की ओर से सरकार कार्य करती है और वही राज्य का चेहरा होती है, जिसे हम दैनिक जीवन में क्रियाशील देखते हैं।

यद्यपि इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी जनता प्रायः इसे एक जैसा ही समझती है, क्योंकि —

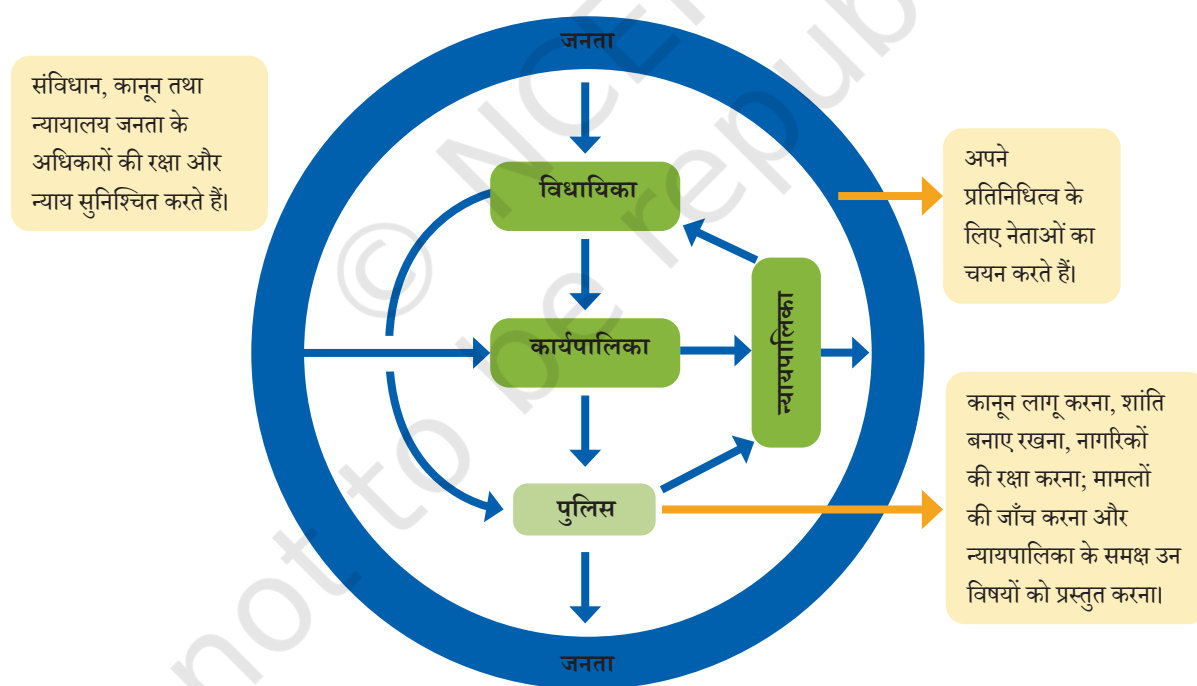
- सरकार राज्य के दैनिक कार्यों का संचालन करती है;
- हम सामान्यतः सरकार के ही संपर्क में रहते हैं क्योंकि राज्य अपने कार्यों का संचालन सरकार के माध्यम से करता है।

जनता, पुलिस और सरकार

आपने अपने दैनिक जीवन और चलचित्रों में पुलिस को देखा होगा। क्या ये सरकार का अंग हैं? इनके क्या कार्य होते हैं? क्या नागरिकों का उन पर कोई नियंत्रण होता है?

भारत के प्रत्येक राज्य में पुलिस 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखती है। यह राज्य सरकार का अंग होती है और नगरों, कस्बों तथा गाँवों में स्थानीय समुदायों के साथ सीधे कार्य करती है। पुलिस राज्य की प्रतिनिधि संस्था होती है। पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वहाँ की जनता अपराध और हिंसा से मुक्त, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में जीवनयापन कर सकें।

न्यायालयों, कारागारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य अंगों के साथ मिलकर पुलिस कार्य करती है। पुलिस अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त, सुरक्षा, न्याय और उत्तम जीवन-स्तर को संवर्धित करते हुए सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान देती है। उदाहरण के लिए, सड़क-सुरक्षा, नशा-उन्मूलन और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम भी उनके कार्यों का अंग हैं। यद्यपि, पुलिस को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करना अनिवार्य है।



चित्र 6.6 — भारत में जनता, पुलिस और सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं को दर्शाने वाला एक सरल आरेख



आइए पता लगाएँ

अपने आस-पास के जिन विभिन्न सरकारी विभागों से आप परिचित हैं अथवा जिनके नाम आपने अपने घर के आस-पास या विद्यालय जाते समय बोर्डों पर देखे हों, उनकी सूची बनाइए। आपके अनुसार ये विभाग कौन-कौन से कार्य करते हैं?

ये सभी विभाग सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं। ये विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों और कानूनों को लागू करते हैं। न्यायपालिका यह भी सुनिश्चित करती है कि इन कानूनों का पालन किया जाए। इस प्रकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। यद्यपि, हमारे दैनिक जीवन में हमारा सीधा संपर्क प्रायः उन्हीं विभिन्न विभागों से होता है, जो कार्यपालिका के अंग होते हैं।

पूर्व अध्याय में हमने विश्व के विभिन्न भागों में विद्यमान या अतीत में रही शासन-प्रणालियों का अध्ययन किया था, जिनमें लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायकतंत्र और कुलीनतंत्र सम्मिलित थे। हमने देखा कि लोकतंत्र में किस प्रकार जनता को अपने नेताओं को चुनने की शक्ति प्राप्त होती है और यह प्रक्रिया उन सरकारों से किस प्रकार से भिन्न होती है, जहाँ सत्ता किसी एक परिवार या एक समूह के हाथों में ही रहती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करे तथा हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करे।

कुछ देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्णतः भिन्न होती है, जबकि कुछ देशों में अधिकारों में परस्पर अतिव्यापन अधिक पाया जाता है।

लोकतंत्र और गणराज्य

आपकी पाठ्यपुस्तक में संविधान की 'प्रस्तावना' दी गई है। ध्यान दीजिए कि संविधान-निर्माताओं ने 'लोकतांत्रिक' और 'गणराज्य' शब्दों का एक साथ प्रयोग क्यों किया है। प्रायः 'लोकतंत्र' और 'गणराज्य' शब्दों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, फिर भी ऐसा क्यों किया गया? यद्यपि राजनीति विज्ञानी इन दोनों अवधारणाओं के मध्य के अंतर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, किंतु यहाँ हम इस अंतर को एक सरल रूप में समझेंगे।

भारत में ब्रिटिश शासन लगभग दो शताब्दियों तक रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उसने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को बिना विचार-विमर्श के यथावत नहीं स्वीकारा। हमारे संविधान के निर्माण के समय अनेक विचार-विमर्श और वाद-विवाद हुए। इनमें से

एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि भारत में किस प्रकार की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत और यूनाइटेड किंगडम, दोनों देशों में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किंतु ब्रिटेन में शताब्दियों से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक सम्राट (राजा या रानी) रहा है। दूसरी ओर, हमारे संविधान-निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा, अपितु निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा किया जाएगा (इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन हम कक्षा 8 में करेंगे)।

यहीं से हमें लोकतंत्र और गणराज्य के मध्य अंतर को स्पष्टता से समझने का अवसर मिलता है।



लोकतंत्र का मूल विचार है— ‘जनता का शासन’। अंग्रेजी में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है (ग्रीक भाषा में डेमोस का अर्थ है ‘जनता’ और क्रेटोस का अर्थ है ‘शासन’)

लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष (सर्वोच्च पद) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। सरल शब्दों में कहें तो गणराज्य वह शासन-व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वहाँ कोई भी वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता, जिसे सत्ता उत्तराधिकार में प्राप्त होती हो। इसके अतिरिक्त, गणराज्य में शासकों की शक्तियों पर संविधान और कानूनों के माध्यम से नियंत्रण भी लगाया जाता है।



ध्यान देने योग्य बात है कि कोई देश एक साथ लोकतंत्र और गणराज्य, दोनों हो सकता है, जैसे— भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। परंतु सभी लोकतंत्र गणराज्य नहीं होते। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन लोकतांत्रिक देश हैं, परंतु गणराज्य नहीं हैं, क्योंकि इन देशों में वर्तमान में भी सम्राट राष्ट्राध्यक्ष होता है।

भारत— एक गणराज्य, जो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और उसका संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संवैधानिक प्रावधान और कानून यहाँ सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत द्वारा चुनी गई सरकार किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन न कर सके।



चित्र 6.7 — संविधान की प्रस्तावना

कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो आदिवासी समुदायों से संबंधित होते हैं। इन भूमियों को उनके उपयोग के लिए कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। निजी कंपनियाँ या अन्य व्यक्ति, स्थानीय समुदाय की अनुमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बिना इन भूमियों को न तो क्रय कर सकते हैं और न ही पट्टे पर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा में 'डोंगरिया कोंध जनजाति' की पवित्र पहाड़ियों में खनन की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वहाँ के समुदाय ने अपनी श्रद्धेय भूमि के विनाश का कड़ा विरोध किया था। इस विषय में आदिवासियों को उनकी पवित्र पहाड़ियों पर उनके अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया था।

अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है?

आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक 'आवासीय कल्याण संघ' (आर.डब्ल्यू.ए.) ने अपनी नियम-पुस्तिका के अनुसार अपने अपार्टमेंट परिसर में रात 9 बजे के पश्चात सामान की डिलीवरी पर रोक लगा दी। यह नियम बहुमत के आधार पर बनाया गया था। इसमें उन कुछ निवासियों के मत को अनदेखा कर दिया गया जिनका कहना था कि ऐसा प्रतिबंध बीमार और वृद्ध लोगों को प्रभावित करेगा। क्या यह नियम न्यायसंगत था?

एक रात्रि एक वृद्ध निवासी के रक्त में शर्करा-स्तर कम हो जाने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जिस दवा की उन्हें आवश्यकता थी, इस नियम के कारण वह समय पर उनके घर नहीं पहुँच सकी। इसके बाद आवासीय कल्याण संघ ने अपने नियम में संशोधन किया तथा भोजन और दवाइयों को इस प्रतिबंध से बाहर कर दिया। इस प्रकार अल्पसंख्यक स्वरों की भी रक्षा की गई।

स्मरण रखें, सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है, परंतु संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा निर्धारित करता है। यदि ऐसा न हो, तो निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का अनियंत्रित उपयोग कर सकते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है।



अतः एक लोकतांत्रिक गणराज्य में ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संविधान द्वारा निर्धारित स्वरूप के अंतर्गत रहकर निर्णय लेते हैं।

चित्र 6.8 — संविधान के स्वरूप के अंतर्गत हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे कार्य करता है।

यह एक क्रियाशील गणराज्य का उदाहरण है— जहाँ विधि का शासन, बहुमत की इच्छा से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे गणराज्य ‘बहुमत के वर्चस्व’ से समाज की रक्षा करते हैं। यह व्यवस्था शक्तिशाली बहुमत को अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने से रोकती है।

संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। निर्वाचित नेता ऐसे कानून नहीं बना सकते, जो जनता के मौलिक अधिकारों जैसे— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समानता के विरुद्ध हों।

बहुमत का वर्चस्व
ऐसी स्थिति जिसमें केवल बहुमत के हितों को ही आगे बढ़ाया जाता है और इसके कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों को क्षति पहुँचती है।



इसे अनदेखा न करें

1782 में, जब ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति की ओर था और जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब उनके एक अधिकारी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि उन्हें अमेरिका का राजा बन जाना चाहिए। वॉशिंगटन ने इस प्रस्ताव को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा कदम देश के लिए हानिकारक होगा और वे केवल संविधान के अंतर्गत जनता द्वारा संचालित शासन में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार, वॉशिंगटन ने 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से कई साल पहले ही गणतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर दी थी।

अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य के अनुसार राजा, जो राज्य की प्रमुख सत्ता होता है, को ‘राजधर्म’ का पालन करना चाहिए और सुशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। यदि सरकार न हो, तो समाज में अराजकता फैल जाती है, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, अर्थात् शक्तिशाली लोग निर्बलों को दबाने लगते हैं।



चित्र 6.9 — ‘मत्स्य न्याय’ — कानून और व्यवस्था के अभाव में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं।

भारत में प्रत्येक राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के पास शक्ति के वैध प्रयोग का अधिकार होता है, जैसे पुलिस के माध्यम से नियंत्रण और कर-व्यवस्था के माध्यम से संसाधनों का संग्रह।



चित्र 6.10 — झारखंड विधान सभा भवन (विधायिका)

विधायिका— कानून निर्माण करने वाली संस्था

विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। लोकतंत्र में विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे नियम बनाती है जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि शासन-व्यवस्था, व्यक्तिगत इच्छाओं या मनमाने निर्णयों के स्थान पर स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों के माध्यम से संचालित हो। राज्यों की भी अपनी-अपनी विधायिकाएँ होती हैं, जो केवल अपने राज्य के लिए कानून निर्मित करती हैं।

कार्यपालिका— कानून लागू करने और नीति-निर्माण करने वाला अंग

कार्यपालिका का मुख्य दायित्व विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा नीतिगत निर्णय लेना है।

राजनैतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका

प्रत्येक देश में सरकार को ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो कानूनों को लागू करें, नीतियों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करें तथा सरकार (प्रशासन) के दैनिक कार्यों का संचालन करें। यह महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका केवल एक व्यक्ति या एक समूह नहीं होती अपितु इसके दो भाग होते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं— ‘राजनैतिक कार्यपालिका’ और ‘स्थायी कार्यपालिका’। यद्यपि भारत का संविधान ‘राजनैतिक कार्यपालिका’ और ‘स्थायी कार्यपालिका’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। फिर भी यह विभाजन भारत की संसदीय शासन प्रणाली का एक अंतर्निहित अंग है, जो संवैधानिक सिद्धांतों और शासन-संबंधी परंपराओं से विकसित हुआ है।

नीति
विचारों या
कार्यों का वह
समूह जिसे
कोई संस्था
या सरकार
अपनाने का
निर्णय लेती है।

राजनैतिक कार्यपालिका

राजनैतिक कार्यपालिका में वे नेता सम्मिलित होते हैं जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति और राज्यपाल भी राजनैतिक कार्यपालिका का अंग होते हैं। यद्यपि, इन दोनों की भूमिका प्रायः औपचारिक या प्रतीकात्मक ही होती है।

ये निर्वाचित नेता बड़े निर्णय लेने, नए कानून प्रस्तुत करने, देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि, इनका चयन चुनावों के माध्यम से होता है, इसलिए ये एक निश्चित अवधि तक, सामान्यतः पाँच वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि ये पुनः निर्वाचित न हो जाएँ या राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए न जाएँ (इस विषय को हम कक्षा 8 में विस्तार से समझेंगे)। इनकी शक्ति जनता के विश्वास और समर्थन पर आधारित होती है।

स्थायी कार्यपालिका

स्थायी कार्यपालिका में वे सरकारी अधिकारी सम्मिलित होते हैं जिन्हें जनता द्वारा नहीं चुना जाता, अपितु परीक्षाओं जैसे ‘संघ लोक सेवा आयोग’ (यू.पी.एस.सी.) द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित किया जाता है। इन्हें नौकरशाह या लोक सेवक भी कहते हैं।

राजनैतिक नेताओं के समान, इन अधिकारियों को प्रत्येक चुनाव के पश्चात हटाया या बदला नहीं जाता। ये सत्ता में किसी भी दल के रहने पर पृष्ठभूमि में रहकर सरकार के कार्यों को सुचारु रूप से चलाते हैं। इनका कार्य विशेषज्ञ सलाह देना, नीतियों को लागू करना तथा सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना होता है।

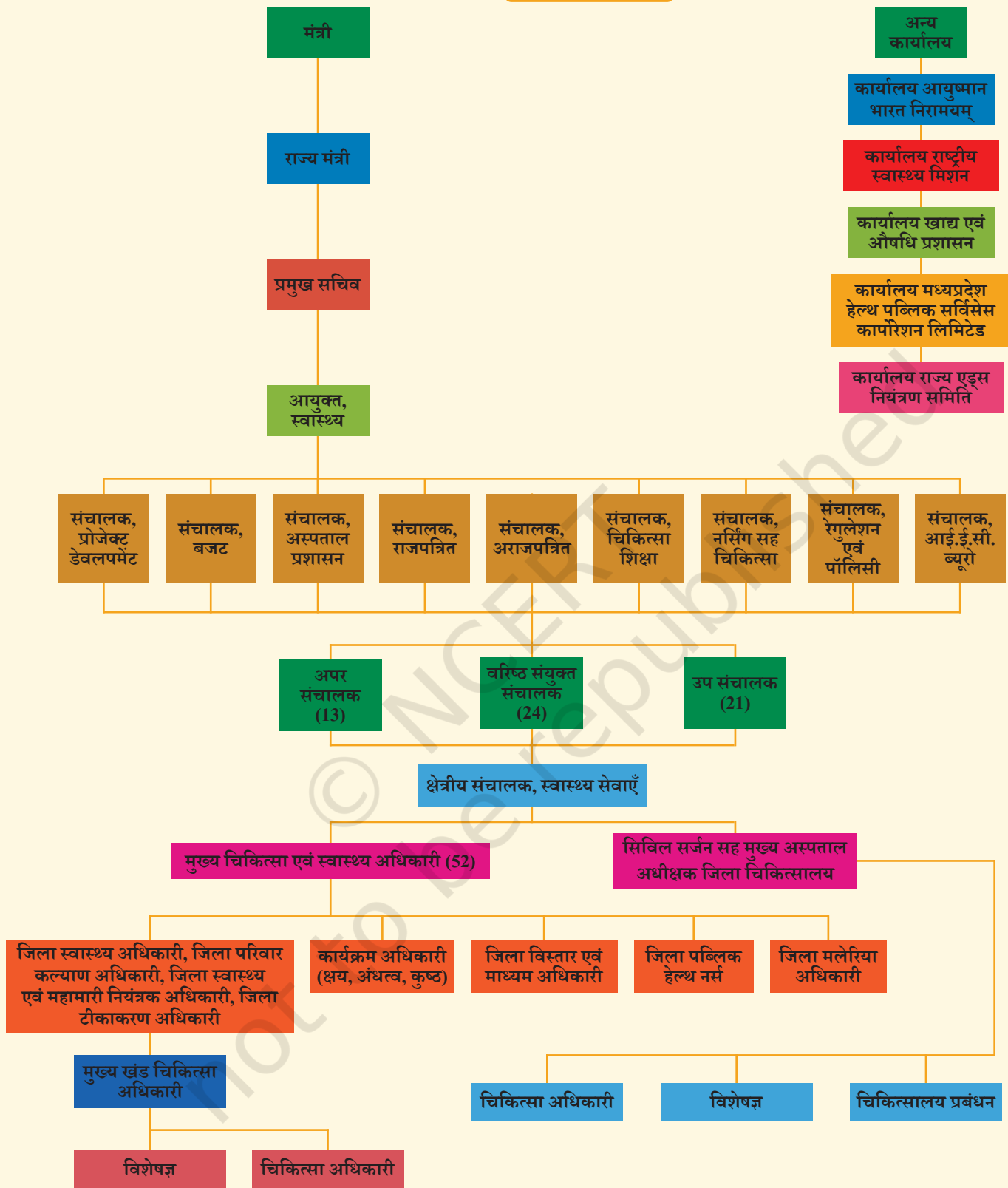
अधिकारी वर्ग के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

- **कानूनों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन**— अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि राजनैतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को देश-भर में विधिवत लागू किया जाए।
- **नागरिकों और सरकार के मध्य कड़ी का निर्माण**— विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अधिकारी जनता से संपर्क करते हैं, जैसे— सरकारी विद्यालयों, सड़कों और चिकित्सालयों जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा जनता की समस्याओं का समाधान करना।
- **अभिलेख रख-रखाव और शासन-संचालन**— वे सरकारी कार्यों, निर्णयों और प्रक्रियाओं से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं।



यू.पी.एस.सी.
यूनियन पब्लिक
सर्विस कमीशन

विभागीय संगठन



चित्र. 6.11 — राज्य के एक विभाग के अधिकारी-तंत्र की संरचना
(आपको यह लेखाचित्र याद करने की आवश्यकता नहीं है।)

अधिकारी-तंत्र एक पदानुक्रमिक संरचना होती है, जैसा कि इस लेखाचित्र (चित्र 6.11) में दर्शाया गया है। ऐसी संरचना जिला और विकास-खंड स्तर पर भी पाई जाती है।

भारत में सबसे प्रसिद्ध अधिकारी सेवाएँ हैं— भारतीय विदेश सेवा (आई.एफ.एस.), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.), भारतीय राजस्व सेवा (आई.आर.एस.) और भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.)। इन सेवाओं में बड़ी संख्या में अधिकारी कार्यरत होते हैं (उदाहरण के लिए चित्र 6.11 देखें)। सामान्यतः हमारा संपर्क धरातल पर कार्य करने वाले अधिकारियों से होता है, जैसे— सरकारी विद्यालयों के शिक्षक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, जलकर्मी एवं स्वच्छताकर्मी या बस-परिचालक। अधिकारी-तंत्र बड़े स्तर के कार्यक्रमों का संचालन भी करता है, जैसे— जनगणना, राष्ट्रीय चुनाव तथा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (वी.बी.-जी.राम जी.) या कोविड-19 टीकाकरण अभियान जैसी आपदा-राहत तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

आई.एफ.एस.
इंडियन फॉरेन सर्विस

आई.ए.एस.
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
सर्विस

आई.पी.एस.
इंडियन पुलिस सर्विस

आई.आर.एस.
इंडियन रेवन्यू सर्विस

आई.एफ.एस.
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस

वी.बी.-जी.राम जी.
विकसित भारत— गारंटी फॉर
रोजगार एंड आजीविका
मिशन (ग्रामीण)

चोनिरा बेल्लियप्पा मुतम्मा (1924–2009)

कर्नाटक में जन्मी चोनिरा बेल्लियप्पा मुतम्मा 1948 में सार्वजनिक सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनीं और 1949 में भारतीय विदेश सेवा में सम्मिलित होने वाली भी प्रथम महिला रहीं, जबकि उस समय लैंगिक पक्षपात व्यापक रूप से विद्यमान था। उदाहरणार्थ, महिलाओं से यह लिखित आश्वासन लिया जाता था कि “विवाह के उपरांत वे सेवा से त्यागपत्र दे देंगी”, जैसा कि सी.बी. मुतम्मा ने बाद में लिखा। इन बाधाओं के होने पर भी उन्होंने एक उत्कृष्ट राजनयिक जीवन व्यतीत किया और अंततः अनेक देशों में भारत की प्रथम महिला राजदूत के रूप में सेवाएँ दीं।



चित्र. 6.12 — चोनिरा
बेल्लियप्पा मुतम्मा

जब उन्हें अनुचित रूप से पदोन्नति से वंचित किया गया, तो मुतम्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के नेतृत्व वाली पीठ ने लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया और महिलाओं के प्रति भेदभाव के लिए विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड पर कड़ी टिप्पणी की। इस प्रकार मुतम्मा का संघर्ष भारतीय लोक सेवा में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक उपलब्धि माना जाता है।

सी.बी. मुतम्मा ने भारतीय चेतना के औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त होने से लेकर भारतीय लोकतंत्र तक अनेक सार्वजनिक विषयों पर लेखन किया। अपने एक निबंध से उन्होंने भारतीय धर्मों की उस विशेषता की ओर संकेत किया जिसे उन्होंने “विचार और आस्था की असीम स्वतंत्रता” कहा। उनके अनुसार यही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व है जो इस देश में लोकतंत्र को संभव बनाता है।

कानून-निर्माण की संरचना और प्रक्रिया पर हम कक्षा 8 में पढ़ाए जाने वाले अध्याय ‘संसदीय व्यवस्था— विधायिका और कार्यपालिका’ में विस्तार से चर्चा करेंगे।

सरकार और आप



चित्र. 6.13 — सरकार द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजनाएँ

भारत सरकार तीन प्रमुख भूमिकाएँ निभाती है— संरक्षक (कानून और रक्षा), सेवा-प्रदाता (लोक-कल्याण और अवसंरचना) तथा नियामक (आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक न्याय)। उदाहरणार्थ, सरकार पुलिस बलों के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा हेतु कानून-व्यवस्था बनाए रखती है, विद्यालयों का निर्माण कर और शिक्षकों की नियुक्ति करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है। सड़कों, पुलों, रेलमार्गों और हवाई अड्डों जैसी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करती है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहलें करती है।

सरकार की उपर्युक्त सभी भूमिकाएँ भारत के संविधान, सहस्रों कानूनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनेक स्तरों, व्यापक प्रशासनिक-तंत्र तथा न्यायपालिका के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं (अगले खंड में न्यायपालिका का संक्षिप्त विवरण दिया गया है)। ये सभी हमारे दैनिक जीवन में हमें अत्यंत सहायता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात भी आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इतना सब होने के पश्चात भी हमारा देश और यहाँ के नागरिक इतनी समस्याओं का सामना क्यों कर रहे हैं। सार्वजनिक कार्यालयों में उत्कोच (रिश्वत) और भ्रष्टाचार की घटनाओं की चर्चा वर्तमान में भी क्यों सुनाई देती है? हमें वर्तमान में भी ऐसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान आवश्यक है, जैसे— कठिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले लोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच, निम्न स्तर की अवसंरचना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक न पहुँच पाना आदि।

नीचे कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं—

6 – राज्य, सरकार और नागरिक

आर.टी.आई.
राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट

पारदर्शिता
नागरिकों को सरकारी
नीतियों, कार्यों तथा
सार्वजनिक धन के व्यय
से संबंधित सूचनाओं
तक खुली पहुँच प्राप्त
होना।

उत्तरदायित्व
सत्तासीन व्यक्ति का
अपने कार्यों तथा निर्णयों
के लिए सामान्य जनता
एवं अन्य हितधारकों के
प्रति उत्तरदायी होना।

सकते हैं (<https://pgportal.gov.in/>)। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत पर संबंधित सरकारी विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने के लिए बाध्य होता है। अनेक राज्यों ने भी इसी प्रकार के शिकायत पंजीकरण पोर्टल विकसित किए हैं।

2. सरकार से उसकी नीतियों और कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त करना—

भारत में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ (आर.टी.आई.) नामक एक प्रभावशाली कानून है, जिसके माध्यम से नागरिक जनहित से जुड़े सरकारी कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई भी नागरिक इस सूचना की माँग कर सकता है कि उसके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई, किसी सरकारी योजना (जैसे— मेधा छात्रवृत्ति) के लाभार्थियों की सूची क्या है अथवा मेट्रो रेल जैसी आधारभूत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

बागेपल्ली बेंगलुरु के निकट एक छोटा नगर है। कुछ वर्ष पूर्व कुछ सरकारी अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि नगर में दोहरी सड़कें और मार्ग प्रकाश-व्यवस्था (स्ट्रीटलाइट) स्थापित की जाए। यह कार्य अत्यंत अव्यवस्थित ढंग से किया गया, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ और अनेक दुर्घटनाएँ होने लगीं। एक स्थानीय नागरिक ने इस कार्य हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया। इस जानकारी के आधार पर नागरिकों के एक समूह ने संबंधित अधिकारियों से प्रश्न किए। इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सड़क निर्माण कार्य सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण किया जाए।

3. जनसंचार माध्यमों का उपयोग—

नागरिक महत्वपूर्ण विषयों को मुद्रित अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों में लिख सकते हैं, जिस पर सरकार कार्यवाही कर सकती है। अनेक सरकारी अधिकारी सामाजिक माध्यमों (सोशल मीडिया) पर सक्रिय रहते हैं। नागरिक यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम जैसे सामाजिक माध्यमों का उपयोग कर अपनी समस्याएँ साझा कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों को चिह्नित कर उस पोस्ट से जोड़ (टैग) सकते हैं।



चित्र 6.15 — भारतीय रेल से संपर्क हेतु
आधिकारिक एक्स (X) खाता @RailwaySeva

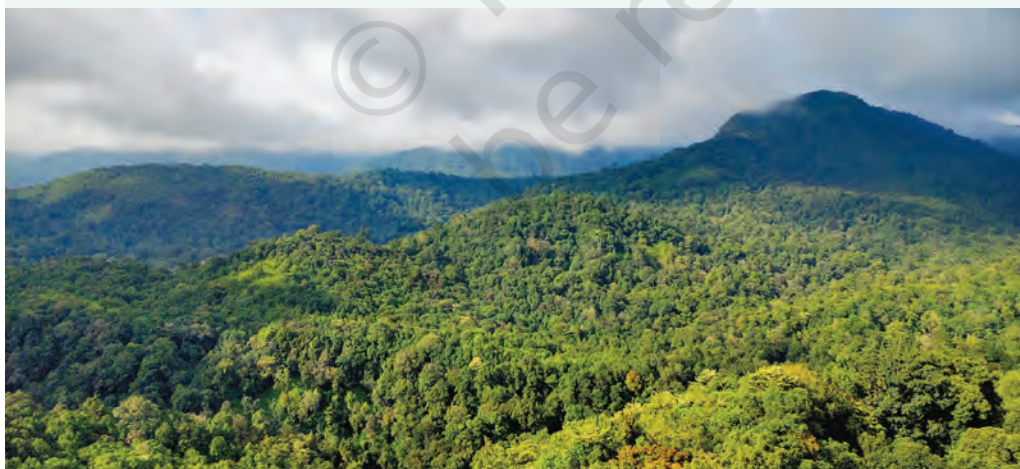
4. नागरिक समाज संगठनों (जैसे— एन.जी.ओ.) के माध्यम से सहभागिता—

भारत में नागरिकों के सहस्रों समूह कार्यरत हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से नागरिक समूह कहा जाता है। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका, महिला सशक्तीकरण आदि विषयों पर कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी संगठन से जुड़ सकता है या स्वयं नया संगठन स्थापित कर सकता है ताकि सरकार का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित किया जा सके, जिसे वह समाज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और सरकार को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।



इसे अनदेखा न करें

1970 में केरल सरकार ने साइलेंट वैली (शांत घाटी) क्षेत्र में एक विशाल जलविद्युत परियोजना की योजना बनाई थी। इस परियोजना के कारण अक्षुण्ण सदाबहार वनों का विस्तृत क्षेत्र जलमग्न हो जाता तथा वहाँ की समृद्ध जैव-विविधता नष्ट हो जाती। इस कारण अनेक वन्य जीवों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती। इस परियोजना के विरोध में अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने जनमत को जागरूक किया। शीघ्र ही इस आंदोलन में सैकड़ों वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, लेखक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा स्थानीय ग्रामीण भी सम्मिलित हो गए। अंततः वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर इस परियोजना को निरस्त कर दिया। दो वर्ष पश्चात इस साइलेंट वैली को 'राष्ट्रीय उद्यान' घोषित किया गया। इससे इसके दीर्घकालीन संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सका।



चित्र 6.16 — साइलेंट वैली आंदोलन की सफलता के पश्चात स्थापित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान

5. राजनैतिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखना— नागरिक किसी विशेष समस्या पर कार्यवाही की माँग करते हुए अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों अथवा संसद के सदस्यों को पत्र लिख सकते हैं।

6. चुनावों में मतदान करना— जब आप मतदान के लिए पात्र आयु को प्राप्त कर लें, तो स्थानीय चुनावों, राज्य चुनावों तथा राष्ट्रीय चुनावों में अवश्य भाग लें और मतदान करें। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि वे ही नेता निर्वाचित हों जो आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों के प्रति गंभीर हों और उन विषयों के लिए सर्वोत्तम योजनाएँ रखते हों।



आइए पता लगाएँ

कुछ समाचार पत्रों के संपादकीय लेख एकत्र कीजिए। उन्हें छोटे समूहों में पढ़िए। यह पहचानिए कि वे किन विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनमें से कितने लेख सरकारी नीतियों से संबंधित हैं?

न्यायपालिका— ‘हितप्रहरी’

न्यायपालिका सरकार का वह अंग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून का पालन करे। यह विवादों का निपटारा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा यह जाँच करती है कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायसंगत और उचित हैं या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यह न्यायपालिका सरकार या राजनेताओं के नियंत्रण में नहीं रहती। इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय सभी के लिए समान और निष्पक्ष बना रहे।

न्यायपालिका क्या करती है?

- **कानूनों की रक्षा और पालन सुनिश्चित करती है—** यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों का उचित रूप से पालन किया जाए।
- **कानूनों की व्याख्या करती है—** जब किसी कानून की भाषा जटिल हो या उसके अर्थ को लेकर मतभेद हों, तब न्यायपालिका उसके अर्थ को स्पष्ट करती है।
- **नागरिकों के अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा करती है—** यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसके समाधान के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
- **न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की सुरक्षा करती है—** जब सरकार या कोई अन्य व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तब न्यायपालिका निर्णायक भूमिका निभाती है।

न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है?

न्यायपालिका ‘विधि के शासन’ की रक्षा करती है, अर्थात् यह सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार भी, कानून के अधीन है और सभी को उसका पालन करना

ही होगा। यह व्यवस्था को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाए रखती है। यह अन्यायपूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि कानून नागरिकों के अधिकारों को क्षति न पहुँचाए। साथ ही, यह विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करती है। एक सशक्त और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है।

भारत में न्यायपालिका के विषय में हम कक्षा 8 में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे।

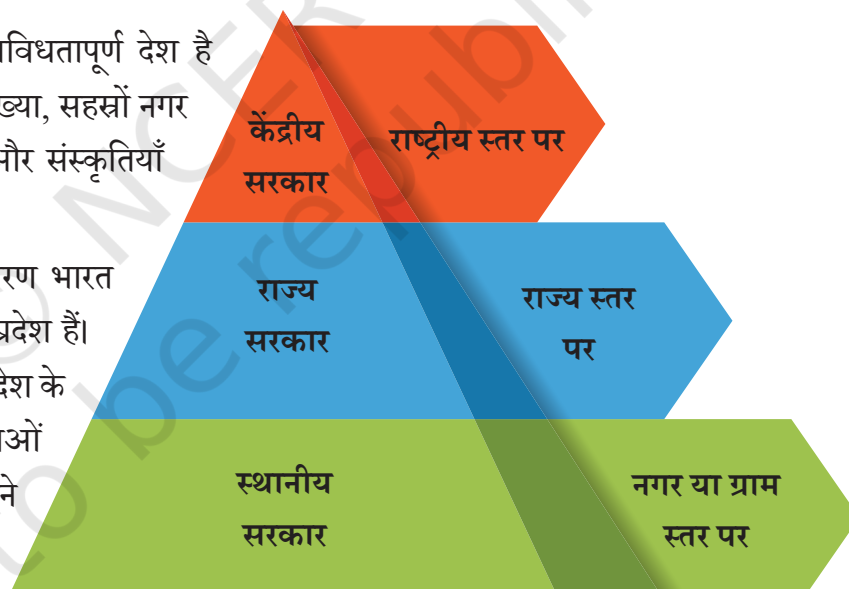
सरकार के स्तर

पुनरावलोकन करें

क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिए गए इस चित्र का स्मरण है? यह भारत में सरकार के तीन स्तरों को दर्शाता है। भारत में सरकार के ये विभिन्न स्तर क्यों हैं? क्या सभी कार्यों को पूरा करने के लिए केवल एक ही स्तर की सरकार पर्याप्त नहीं हो सकती? आइए, इसे और विस्तार से समझते हैं।

भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहाँ 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या, सहस्रों नगर और गाँव तथा अनेक भाषाएँ और संस्कृतियाँ विद्यमान हैं।

एक संघीय देश होने के कारण भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। केवल एक केंद्रीय (संघ) सरकार देश के सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती। अतः इतने बड़े देश में शासन-व्यवस्था का विकेंद्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया जाना आवश्यक है।



चित्र 6.17

प्रारंभ में भारतीय संविधान में सरकार के केवल दो स्तरों का ही प्रावधान था—संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकारें। उस समय स्थानीय सरकारें, जैसे—पंचायतें और नगरपालिकाएँ, पृथक संवैधानिक स्तर पर नहीं थीं। इन्हें राज्य-सूची के अंतर्गत रखा गया था, जिसका अर्थ यह था कि राज्य सरकारें यह निर्णय ले सकती थीं कि ये संस्थाएँ किस प्रकार कार्य करेंगी।



इसे अनदेखा न करें

संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में से एक यह था— “राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके।”

1990 के दशक के प्रारंभ में संविधान में संशोधन कर पंचायती राज-व्यवस्था तथा नगरों और शहरों के लिए नगरपालिका प्रणाली की स्थापना की गई। इन दोनों के माध्यम से स्थानीय सरकारें भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तर बनीं; जबकि शेष दो स्तर हैं— संघ सरकार और राज्य सरकारें। यह व्यवस्था लोकतंत्र को जन-स्तर पर सुदृढ़ करने तथा नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई।

विकेंद्रीकरण क्या है?

‘विकेंद्रीकरण’ का अर्थ है कि सत्ता की और निर्णय लेने की शक्ति केवल एक स्थान पर या एक छोटे समूह पर केंद्रित न होकर विभिन्न स्तरों पर वितरित हो। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए, जबकि व्यापक और बड़े विषयों का समाधान राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसे उच्च स्तरों द्वारा किया जा सकता है।



आइए विचार करें

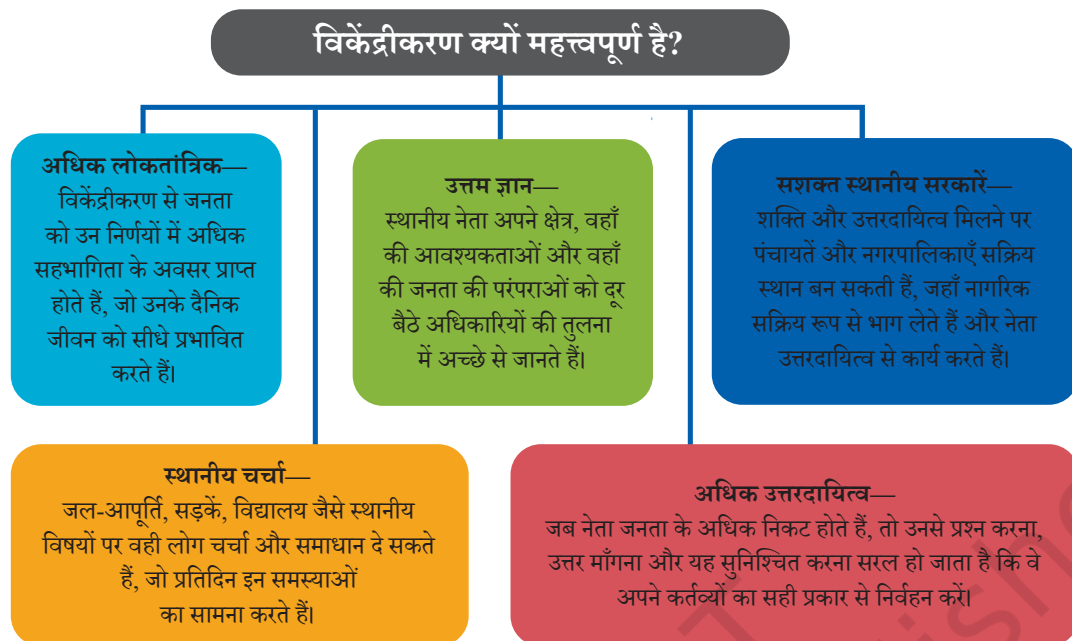
यदि आपके पड़ोस के मार्ग की स्ट्रीटलाइट (प्रकाश लैंप) खराब हो जाए, तो आप उसे ठीक कराने के लिए किससे संपर्क करेंगे? यदि किसी गाँव की सड़क की मरम्मत आवश्यक हो, तो क्या स्थानीय लोग सीधे केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे?

आइए पता लगाएँ

स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णय यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही क्यों लिए जाने चाहिए? इसके क्या कारण हो सकते हैं?

सामान्यतः स्थानीय विषयों से जुड़े निर्णय जनता के सबसे निकटतम स्तर पर ही लिए जाते हैं। जिन कार्यों को स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, उन्हें स्थानीय नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए। स्थानीय नगर निकाय अथवा पंचायतें ऐसे कार्यों को अधिक शीघ्रता और प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकती हैं।

परंतु यदि देश की रक्षा पर संकट हो, तो उसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है।



चित्र 6.18



इसे अनदेखा न करें

महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे और वे मुख्य रूप से आत्मनिर्भर ग्राम शासन में दृढ़ विश्वास रखते थे, जिसे उन्होंने 'ग्राम स्वराज' कहा। उन्होंने कहा— “मेरी ग्राम स्वराज की परिकल्पना यह है कि यह एक पूर्ण गणराज्य हो, जो अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए पड़ोसी क्षेत्रों से स्वतंत्र हो किंतु जहाँ निर्भरता आवश्यक हो, वहाँ अनेक अन्य विषयों में परस्पर निर्भर भी हो।”

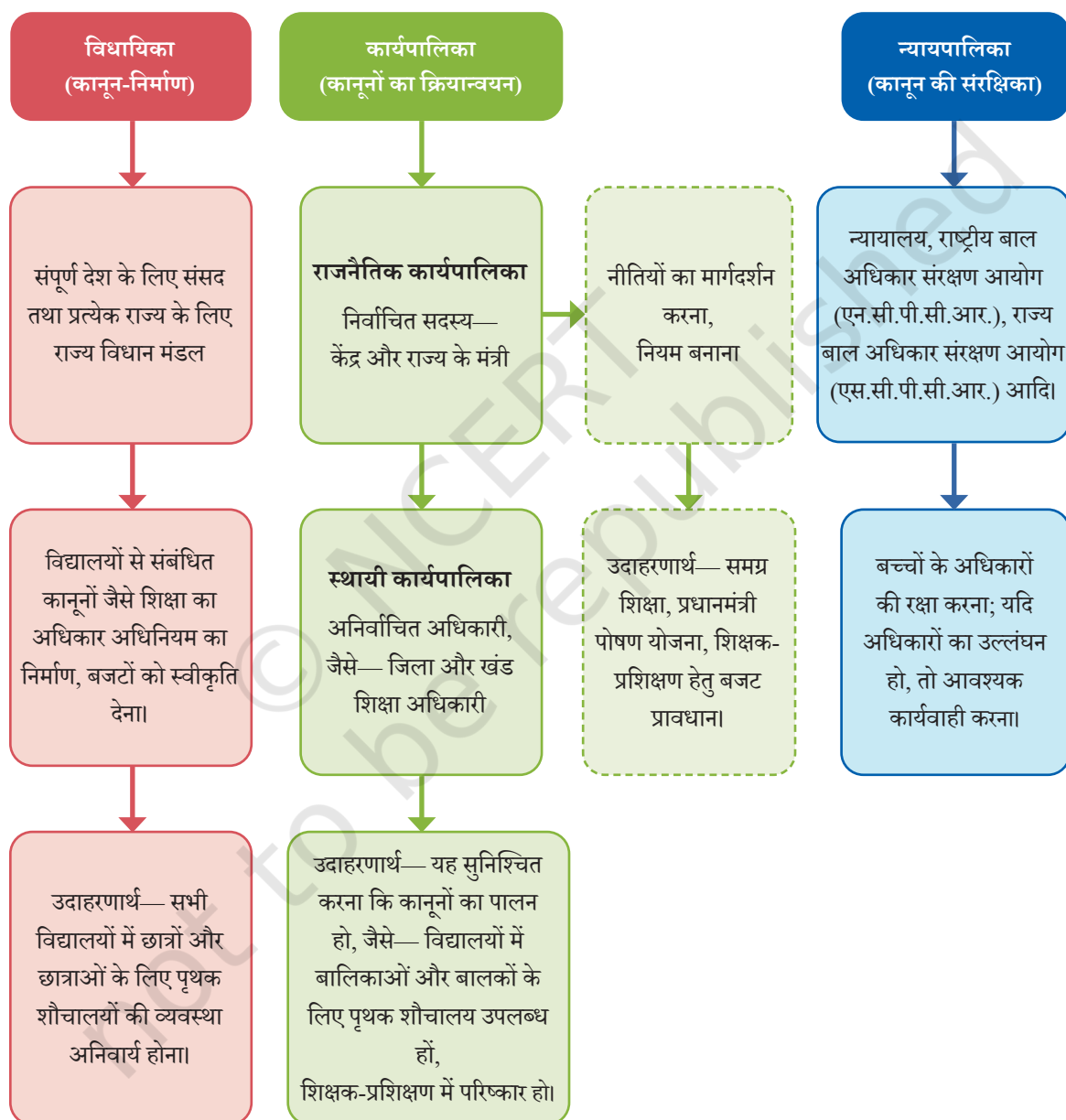
केंद्रीय (संघ) सरकार— यह संपूर्ण देश से संबंधित विषयों की देखभाल करती है, जैसे— रक्षा, विदेश-नीति, मुद्रा तथा समवर्ती विषय, जैसे— शिक्षा और विवाह।

राज्य सरकारें— ये प्रत्येक राज्य में नागरिकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं (जैसे— पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, कृषि और राज्य में शिक्षा)।

स्थानीय सरकारें— ये गाँवों, कस्बों और नगरों में कार्य कर स्थानीय समस्याओं का समाधान करती हैं (जैसे— भूमि संबंधी, कृषि संबंधी, जल-आपूर्ति, जल-निकासी, प्रकाश व्यवस्था, उद्यान निर्माण आदि)।

विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सरकार के तीन अंगों की कार्यशैली

भारत में विद्यालयों का प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या एक कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता। आइए, समझते हैं कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अलग-अलग, किंतु परस्पर संबद्ध भूमिकाएँ निभाते हैं, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके।



चित्र. 6.19 — शिक्षा प्रणाली में सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका को स्पष्ट करने वाला सरल आरेख

आइए पता लगाएँ

भारत को गणराज्य बने अब 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इस अवधि में देश में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर अनेक सरकारें रही हैं। अनेक नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई तथा उन्हें लागू किया गया। हमने अपने नागरिकों की साक्षरता बढ़ाने, सड़कों, रेलमार्गों और विमानपत्तनों में सुधार करने तथा दूरसंचार और इंटरनेट जैसी संचार-प्रणालियों को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। किंतु भारत की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में हमें अभी भी लंबा मार्ग तय करना है।

निम्नलिखित विषयों पर कक्षा में चर्चा कीजिए—

- अपने गाँव, कस्बे या नगर में सामान्य नागरिकों के जीवन में सुधार लाने वाली देश की पाँच प्रमुख उपलब्धियों की सूची बनाइए। यह बताइए कि सरकार के किस स्तर ने इन्हें संभव बनाया और कैसे?
- साधारण नागरिकों द्वारा प्रायः सामना करने वाली पाँच समस्याओं की सूची बनाइए। यह बताइए कि इन समस्याओं का समाधान सरकार के किस स्तर पर किया जाना चाहिए और किस प्रकार से?

आगे बढ़ने से पहले...

- राज्य और सरकार अलग-अलग शब्द हैं, किंतु कई बार इन शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर लिया जाता है। राज्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी देश के नागरिक तथा उस देश का भूभाग सम्मिलित होता है। राज्य संप्रभु होता है अर्थात् उसे बाह्य नियंत्रण के बिना अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य के पास एक सरकार होती है जो देश के संचालन हेतु कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है।
- गणतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया जाता है। इसमें वंशानुगत रूप से किसी राजा या रानी का राष्ट्राध्यक्ष होना निश्चित नहीं किया जाता है। गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष की शक्तियाँ संविधान या कानूनों द्वारा सीमित होती हैं।
- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सरकार के तीन स्तंभ अथवा अंग होते हैं।
- भारत में सरकार के तीन स्तर होते हैं— संघ (केंद्र), राज्य तथा स्थानीय।



- भारतीय संविधान हमारी शासन-व्यवस्था की संरचना के लिए मूलभूत और आधारभूत ढाँचा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के तीनों अंगों के मध्य 'नियंत्रण और संतुलन' बना रहे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार के तीनों स्तर, अत्यधिक केंद्रीकरण के बिना मिलकर जनता के हित में कार्य करें।
- मीडिया लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है— यह नागरिकों को सूचित रखता है तथा विचार-विमर्श और वाद-विवाद के लिए मंच प्रदान करता है।
- नागरिक समाज संगठन (एन.जी.ओ) सामाजिक समस्याओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य भी करते हैं।
- स्थायी कार्यपालिका, जिसमें लोक सेवक अथवा अधिकारी-वर्ग सम्मिलित होते हैं, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को लागू करती है।

प्रश्न एवं क्रियाकलाप

1. “प्रत्येक लोकतंत्र एक गणराज्य होता है।” क्या यह कथन सत्य है या असत्य? स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में विकेंद्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? इसके दो कारण लिखिए।
3. कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यालय की छात्र परिषद के सदस्य हैं। यह परिषद एक लघु संसद की तरह कार्य करती है— इसके सदस्य विद्यार्थियों द्वारा चुने जाते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। इस संदर्भ में बताइए कि क्या यह अधिक उपयुक्त होगा कि केवल परिषद अध्यक्ष सभी निर्णय ले या फिर सभी सदस्यों में शक्ति का वितरण किया जाए?
 - क्या छात्र परिषद को आपके भोजन या आपकी बोलचाल की भाषा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए?
 - यदि छात्र परिषद आपके विद्यालय की सबसे शक्तिशाली संस्था बन जाए और उसके निर्णयों पर कोई प्रश्न न उठाए, तो क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं?
4. भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में वास्तविक जीवन की इन परिस्थितियों पर विचार कीजिए—
 - क्या संसद को देश की सबसे शक्तिशाली संस्था होना चाहिए? क्यों होना चाहिए अथवा क्यों नहीं?
 - क्या संसद को कोई भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, भले ही वह आपके अधिकारों को प्रभावित करता हो या नहीं?

- यदि कानून-निर्माण पर कोई सीमा न हो, तो क्या-क्या हानि हो सकती है? क्या इससे अन्यायपूर्ण या अनुचित कानूनों का निर्माण हो सकता है?
 - भारत में अधिक शक्तिशाली कौन है— संसद या सर्वोच्च न्यायालय? अपने कारण स्पष्ट कीजिए।
5. अपने माता-पिता/अभिभावकों से यह पूछिए कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने सरकार से किस प्रकार संपर्क स्थापित किया। एक सूची बनाइए और उन कार्यों को सरकार के उस स्तर के अनुसार वर्गीकृत कीजिए, जिनके साथ उन्हें कार्य करना पड़ा। उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

मेरी अभिव्यक्ति

© NCERT
not to be republished

इस स्थान का उपयोग टिप्पणी और चित्रांकन हेतु कीजिए।

